पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 11/2017

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

धुलजी पिता पूनीया-भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 84, 86

आदेश

दिनांकः 5/6/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधा गढ़ी ने पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या । के सर्वे नम्बर 2648 रकबा 03 हे0 किस्म—नहर जो कि श्रीसरकार खातेदारी में दर्ज रेकार्ड भूमि में स्थित आम के एक को अप्रार्थी ने बिना अनुमति के कांट दिया हैं तथा लकड़ी मौके पर नही पाई जाकर अप्रार्थी द्व खुर्द बुर्द कर दी गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की ध 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के आम का पेड़ कांटे जाने क्रम में पटवारी हल्का द्वारा तैया किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल अ प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किया गया। तथा अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत उक्त आम के पेड़ के सुख जाने एंव हवा के कारण गिर जाने से लकड़ी स्वंय के द्वारा हट स्वीकार किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का द्व तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना— का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री धुलजी पिता पूनीया भील निवासी सुन द्वारा श्रीसरकार भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को काटं कर राजस्थान काश्तकारी अधिनि 1955 की धारा 84, 86 का उल्लघंन किया गया है। इस क्रम में न्यायालय के पत्रांकः 865 दि 24.5.17 एंव स्मरण पत्र क्रमांकः 1725 दिनांक 01.11.17 द्वारा मौका पर्चा में वर्णित राशि व किये जाकर राज कोष में जमा कराने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी पालना रिपोर्ट प्र नही हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को श्रीसरकार भूमि में ि एक आम के पेड़ को कांटने एंव बिना अनुमति के हटाने के फलस्वरूप 100/— रूपयें के से दण्डित किया जाता हैं। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जा कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराते हुऐ मौका पर्चा में व अनुसार रू0 15,000/— (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार) में सम्बन्धित भू—अभि0 निरीक्षक एंव पट के माध्यम से निलामी कराई जाकर जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में करातें हुऐ पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 5/6/2018 को सुनाया गया।

(पूजा कुमारी पार्थ)